FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year**: 2015 **FIR No**: 26 Date: 26.06.2015

2. **Act(s)**: **Section(s)**

(i) IPC 406,409,420,467,468,471,120 बी

(ii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 13(1) D

(iii)

(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day**: Friday **Date From**: 26.06.2015 **Date To:** 26.06.2015

Time Period: **Time From:** **Time To**:

(b) **Information received at P.S:** **Date:** : 26.06.2015 **Time**: 16:30

(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 10 **Time:** 16:30

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**

(a) Direction and Distance from P.S South-East /75 Km **Beat No**.: 04

(b) Address: Area Of Distt. Bhiwani

(c) In case, Outside the limit of the Police Station:

Name of P.S: SVB (H) Hisar **District: Hisar**

6. **Complainant/Informant**:

(a) **Name:** INSP Shree Ram SVB Unit BWN

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:**

(f)

(g) **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

7. Ramesh Kumar Sarpanch Kaluwas Bhiwani and Others

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9. **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

SI.No.	Property Type (Description)	Est. Value (Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. **Total value of property stolen:**

11. **Inquest Report/U.D Case No., if any**

12. **F.I.R Contents (attach separate sheet, if**

श्रीमान जी जांच क्रमांक 4 दिनांक 17.07.2013 भिवानी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के यादि क्रमांक 61/22/2013-2 चौ० ii दिनांक 15.07.2013 की अनुपालना मे दर्ज रजि० होकर महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो (ह) पचंकुला के पृष्ठाकंन क्रमांक 18006/1-3/svb(H) दिनांक 18.07.2013

अनुसार इस मण्डल मे प्राप्त हुई यह जांच श्री बिजेन्द्र सिहं ओलम्पिक पदक विजेता अर्जुन अवार्डी राजीव गांधी खेल रत्न की शिकायत के आधार पर दर्ज रजि० की गई थी जिसने आरोप था कि परिवादी बिजेन्द्र सिहं द्वारा पदक प्राप्त करने पर तत्कालिन मुख्यमन्त्री श्री भूपेन्द्र सिहं हुड्डा हरियाणा सरकार द्वारा गावं कालुवास के विकास के लिये 72 लाख रु० की राशि दिनांक 03.02.2011 को स्वीकृत की गई थी तथा मुख्यमन्त्री ने कहा था कि यह राशि श्री बिजेन्द्र सिहं की सहमति से गावं के विकास कार्यो पर खर्च होगी । उक्त राशि प्रतिवादी रमेश कुमार सरपचं ग्राम पचांयत कालुवास जिला भिवानी ने श्री बिजेन्द्र सिहं को बैगर सुचना दिये जालसाजी से उनके झुठे हस्ताक्षर करके अधिकारियो से मिलीभगत करके विकास कार्यो के झुठे बिल बनाकर खर्च की जानी दिखा दी व राशि का गबन कर लिया । उक्त आरोप की पुर्ण पडताल नि० ज्ञान सिहं रा.चौ.ब्यूरो (ह) उपकेन्द्र भिवानी द्वारा की गई जो आरोप की पडताल से पाया गया कि बिजेन्द्र सिहं बाक्सर वासी कालुवास जिला भिवानी के कोमनवैल्थ / एसियाड गेमो मे मैडल जीतने पर सरकार द्वारा फरवरी 2011 मे गावं कालुवास के विकास के लिये 72 लाख रु० की ग्रान्ट स्पैशल डबलैपमैन्ट स्कीम के तहत दी गई थी । यह राशि खिलाडी व ग्राम पंचायत की सहमति से ग्राम पंचायत द्वारा गावं मे विकास कार्यो पर एक्जिक्युटिव एजेंसी के माध्यम से खर्च की जानी थी । इस सम्बन्ध मे सरकार के पत्र क्रमांक डी.एफ.-1-2011 दिनांक 25.02.2011 मे हिदायते वर्णित है । यह राशि खिलाडी व ग्राम पंचायत मे सहमति न बनने के कारण फरवरी 2012 तक उपायूक्त भिवानी के पास ही पडी रही । तदोपरान्त दिनांक 12.01.2012 को खिलाडी के परिवार ने उपायूक्त भिवानी को उक्त ग्रान्ट से गावं मे धर्मशाला बनवाने व पुराने हस्पताल पर उक्त ग्रान्ट की राशि. खर्च करने बारे दरखास्त दी मगर बाद मे विचार बदलते हुये खिलाडी के परिवार वालो ने गावं मे सामुदाकि केन्द्र बनवाने की मागं की जिस पर श्री औमप्रकाश शर्मा तत्कालीन जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी भिवानी ने उक्त ग्रान्ट ग्राम पंचायत के खाते मे स्थानांतिरत कर दी । सरकार की हिदायतो अनुसार उक्त ग्रान्ट से करवाये जाने वाले विकास कार्यो का पहले कार्यकारी अभियन्ता पंचायती राज से एस्टीमैट तैयार करवाया जाना था फिर सम्बन्धित उपायूक्त से प्रशानिक स्वीकृति प्राप्त करके सक्षम अधिकारी से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त की जानी थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा टैण्डर के माध्यम से या एक्जिक्युटिव एजैन्सी के माध्यम से कार्य करवाया जाना था । श्री औमप्रकाश शर्मा तत्कालीन जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी भिवानी ने दिनांक 27.02.2012 को उक्त 72 लाख रु० की ग्रांट आई.डी.बी.आई. बैंक भिवानी मे ग्रांम पंचायत कालुवास के खाता स० 0354104000073848 मे स्थानांतरित कर दी । श्री औम प्रकाश शर्मा दिनांक 29.2.2012 को सेवानिवृत हो गये थे । पडताल के दौरान पाया गया कि उपमण्डल अभियन्ता पंचायती राज भिवानी द्वारा पत्र क्रमांक 172 दिनांक 22.03.2012 के माध्यम से सरपंच को लिखा गया कि गावं मे सामुदायिक केन्द्र बनवाने बारे जो जगह प्रस्तावित है उसका प्रस्ताव भेजा जावे ताकि एस्टीमैन्ट तैयार करके कार्य प्रारम्भ करवाया जा सके । मगर सरपंच ने कोई प्रस्ताव नही दिया । पडताल के दौरान पाया गया कि श्री रमेश कुमार सरपंच ग्राम पंचायत कालुवास ने तत्कालीन ग्राम सचिव जितेन्द्र से मिलीभगत करके गावं मे विभाग की मार्फत सामुदायिक केन्द्र बनवाने की बजाय अपने स्तर पर ही गावं मे चार गलियो

(1 बी.सी. चौपाल से एस.सी. चौपाल तक 2 राजकीय स्कुल से नाथुवास रोड पुलिया तक 3 बलबीर की दुकान से पृथ्वी पुत्र प्रलाहद के मकान तक 4 अमरलाल चौकीदार के मकान से श्रीनिवास के घर तक) का निर्माण उक्त धन राशि से करना दिखाया तथा इस कार्य की उसने काम शुरु होने से पहले 42,44,800/- रु० की पेमैन्ट जय दादी सती जाबदे इंटरप्राईजिज भिवानी को एक ही दिन दिनांक 18.12.2012 को दो चैको के माध्यम से कर दी । उक्त गलियो के निर्माण का भी सरंपच द्वारा ना ही तो पंचायत विभाग से कोई एस्टीमेट तैयार करवाया तथा ना ही कार्य करवाने की सूचना विभाग को दी तथा ना ही कार्य होने उपरान्त भी इस कार्य की कोई एम.बी. विभाग से भरवाई तथा ना ही बिलो की वैरीफिकेशन करवाई। श्रीमति रितु लाठर तत्कालिन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा गावं मे सामुदायिक केन्द्र निर्माण बारे झुठी प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त भिवानी को भेजी गई तथा उन द्वारा 4244800/- रु० की राशि को भुगतान चैक द्वारा किया गया जबकि गावं कालुवास मे आज तक किसी भी सामुदायिक केन्द्र का निर्माण होना नही पाया गया है । रमेश कुमार सरपंच द्वारा उक्त खाते से वर्ष 2013 मे कुल 32,82,600/- रु० की पेमैटं जिसमे से दिनांक 09.09.2013 को चैक स० 102507 से मुबलिग 10,15,500/- रु० दिनांक 13.09.13 को चैक स० 102508 से 11,98,600/- रु० दिनांक 24.09.13 को चैक स० 102509 से 9,80,000/- रु० व दिनांक 08.10.13 को चैक स० 102506 से 88,500/- रु० की क्रमशः बाबा जगन्नाथ अर्थ मूवर , सिगंला आयरन स्टोर ,श्याम मार्बल व मै० बालाजी इंटरप्राईजिज के नाम की जानी पाई गई ।उक्त सभी चैको पर तत्कालिन ग्राम सचिव विजय कुमार के हस्ताक्षर है । जिसने अपने कथन मे बतलाया कि चैको पर उसके हस्ताक्षर सरपंच द्वारा किये गये है उक्त पेमैटं बारे कोई प्रस्ताव नही लिखा तथा ना ही उक्त पेमैन्ट बारे किये गये कार्यो के बिलो का रिकार्ड ग्राम पंचायत के रिकार्ड मे उपलब्ध है । उक्त कार्य करवाये ही नही गये ना ही उक्त फर्मो से कोई सामान आया । उक्त भुगतान के सम्बन्ध मे प्रस्ताव भी सरपंच द्वारा फर्जी तैयार किया गया है यह भुगतान तत्कालिन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी श्री हरि भगवान शर्मा (हाल सेवानिवृत) के कार्यकाल मे किया जाना पाया गया तथा उस द्वारा उक्त ग्रांट से गावं मे समुदायिक केन्द्र बनने की झुठी प्रगति रिपोर्ट उपायूक्त भिवानी को भेजी जानी पाई गई जो कि 31.01.2014 को सेवानिवृत हो चुके है । उक्त भुगतान के प्रस्ताव फर्जी होने पाये गये यानि इनका कार्यकाही पुस्तिका मे कोई रिकार्ड होना नही पाया गया तथा ना ही उक्त फर्मो के बिल ग्राम पंचायत के रिकार्ड मे होने पाये गये । उक्त चारो फर्जी ट्रांजेक्शन के चैको पर विजय कुमार ग्राम सचिव के हस्ताक्षर भी फर्जी होने पाये गये । उक्त गलियो बारे उपमण्डल अभियन्ता रा.चौ. ब्यूरो (ह) पंचकुला से तकनिकि राय प्राप्त की गई । तकनीकि राय अनुसार उक्त गलियो के निर्माण पर केवल 6,38,000 /- रु० खर्च बनते है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त गलियो के निर्माण पर 42,44,800/- रु० खर्च किये जाने दिखाये गये है । यह 42,44,800/- रु का खर्च पास करने बारे ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव पास किये गये है उन पर रमेश कुमार सरपंच के ईलावा पंच हिम्मत सिहं ,पचं महेन्द्र सिहं , पचं रामकिशन, पचं बबीता देवी . पचं केला देवी , पचं प्रकाशी के हस्ताः अंगुठे है । पडताल के दौरान केला देवी पचं ,महेन्द्र सिहं पचं व हिम्मत सिहं पचं के हस्ताक्षर फर्जी होने ब्यान हुये है । सरकार की हिदायतो अनुसार भी किसी भी तरह के दुरुपयोग के

लिय अधिकारिक तौर पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी भी पुर्ण रुप से जिम्मेवार है । पडताल उपरान्त नि० ज्ञान सिहं रा.चौ.ब्यूरो भिवानी ने श्री रमेश कुमार सरपंच , जितेन्द्र सिहं पुर्व ग्राम सचिव , रामकिशन पंचं, बबीता देवी पचं , प्रकाशी देवी पचं, ग्राम पंचायत कालुवास जिला भिवानी , श्रीमति रितु लाठर तत्कालिन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी भिवानी , श्री हरि भगवान शर्मा तत्कालिन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी भिवानी हाल सेवानिवृत , राजेश सिगंला प्रो० आयरन स्टोर भिवानी , हनुमान कौशिक प्रो० जगन्नाथ अर्थ मुवर भिवानी , दिनेश कुमार प्रो० श्याम मार्बल भिवानी , श्याम प्रो०जय दादी सती जाबदे इंटरप्राईजिज भिवानी व राजबीर सिहं प्रो० बाला जी इंटरप्राईजिज के खिलाफ भा.द.स. की धारा 406,409,420,467,468,471,120 बी. व 13(1) डी. पी.सी. एक्ट 1988 के तहत अभियोग अकिंत करने व उपरोक्त सभी से गबन की गई 68,89,058, रु० कि राशि की रिकवरी करने व तफतीश के दौरान विजय कुमार ग्राम सचिव,केला देवी पचं , महेन्द्र सिहं पचं, व हिम्मत सिहं पचं के हस्ताक्षर एफ.एस.एल. से चैक करवाये जाने तथा यदि इस भुगतान मे किसी बैक कर्मी या किसी अन्य कर्मचारी अधिकारी या प्राईवेट व्यक्ति की कोई मिली भगत पाई जाने पर उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने कि सिफारिश सहित रिपोर्ट तैयार करके महानिदेशक रा.चौ. ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 13336/ एस.वी.बी./एच दिनाकं 30.09.2015 अनुसार को भिजवाई गई परन्तु कुछ तकनीकि बिन्दु लगने उपरान्त जांच कि दोबारा अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकुला के पत्र क्रमांक 2936/एस.वी.बी./एच दिनांक 25.02.2015 सरकार को भेजी गई थी जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 61/22/2013-2 चौकसी II दिनांक 11.05.2015 की अनुपालना मे महानिदेशक रा,चौ,ब्यूरो हरियाणा पचंकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 6590/1-3/एस.वी.बी. /एच दिनाकं 14.05.2015 के अनुसार रमेश कुमार सरपंच , जितेन्द्र सिहं पुर्व ग्राम सचिव , रामकिशन पंचं, बबीता देवी पचं , प्रकाशी देवी पचं, ग्राम पंचायत कालुवास जिला भिवानी , श्रीमति रितु लाठर तत्कालिन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी भिवानी , श्री हरि भगवान शर्मा तत्कालिन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी भिवानी हाल सेवानिवृत , श्री राजेश सिगंला प्रो० आयरन स्टोर भिवानी , श्री हनुमान कौशिक प्रो० जगन्नाथ अर्थ मुवर भिवानी , श्री दिनेश कुमार प्रो० श्याम मार्बल भिवानी , श्री श्याम प्रो०जय दादी सती जाबदे इंटरप्राईजिज भिवानी व राजबीर सिहं प्रो० बाला जी इंटरप्राईजिज के खिलाफ भा.द.स. की धारा 406,409,420,467,468,471,120 बी. व 13(1) डी. पी.सी. एक्ट 1988 के तहत अभियोग अकितं करने व तफतीश के दौरान विजय कुमार ग्राम सचिव,केला देवी पचं , महेन्द्र सिहं पचं, व हिम्मत सिहं पचं के हस्ताक्षर एफ.एस.एल. से चैक करवाये जाने तथा यदि इस भुगतान मे किसी बैक कर्मी या किसी अन्य कर्मचारी अधिकारी या प्राईवेट व्यक्ति की कोई मिली भगत पाई जाने पर उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने के आदेश प्राप्त होने पर प्राप्ता आदेशो की अनुपालना मे उक्त सभी 12 कसो के खिलाफ मु० बा जुर्म मजकुर दर्ज रजि० करके मिशल मु० हजा मय आमदा रिकार्ड (कुल चार फाईले जांच क्रमांक 4/13 भिवानी) बराये तफतीश निज्द निरीक्षक भेजी जा रही है । नुकलात प्र.सू.रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब व अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को बजरिया डाक भेजी जा रही है । sd Anil Kumar निरीक्षक प्रबन्धक अफसर थाना रा.चौ.ब्यूरो हिसार । अज थानाः- लेख हजा पर मुकदमा ब

जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले विष्णु प्रसाद निरीक्षक के हवाले की गई । नकुलात FIRबतौर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त EASI रमेश कुमार980/HSRईलाका मैजिस्ट्रैट भिवानी वा पुलिस अधीक्षक भिवानी के पास भेजी जा रही है ।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation **OR**

(ii) Directed (Name of the I.O.): Vishnu Parshad

Rank: Insp.

No P/INSP **to take up the investigation, OR**

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction: **District:**

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name Anil Kumar
Rank INSP . No H/161